न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री अंश दीप, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 90/2017 ::
जीसीएमएस नम्बर :: 2017/00336

प्रार्थी :— बनाम अप्रार्थीगण :—

श्यामलाल पुत्र श्री खींयाराम जाति रेगर निवासी खेड़ा देवगढ़, निमाज, तह. जैतारण जिला पाली

1. चन्द्राराम पुत्र श्री बचनाराम जाति गुर्जर निवासी कबूतरों का चौक, खेड़ा देवगढ़, निमाज, तह. जैतारण जिला पाली
2. ग्राम पंचायत निमाज, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत निमाज तहसील— जैतारण जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

अधिवक्ता :— प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मोहम्मद शरीफ काजी उपस्थित
अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम जी पंचारिया उपस्थित

—:: नि र्ण य ::—

दिनांक :— 22/2/21

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायत राज. अधिनियम 1994 के विरूद्ध प्रस्ताव 20.10.2004 तथा मिसल संख्या 66/2005 में पारित आदेश दिनांक 20.10.2004 की पालना में जारी पट्टा संख्या 28 बुक संख्या 87 ग्राम पंचायत निमाज द्वारा दिनाँक 09.12.2004 को जारी किया गया उसे निरस्त कराने हेतु पेश की गई है। जो दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस व ग्राम पंचायत निमाज से पट्टे सम्बन्धी रेकर्ड तलब किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि मिसल संख्या 66 में दिनांक 08.07.2005 को कायम की गई उसके बाद जो आदेशिकाए है वे समस्त 2004 की है। इस प्रकार पत्रावली कायम करने से पूर्व ही पट्टा जारी नहीं किया जा कसता है इससे ग्राम पंचायत द्वारा की गई कार्यवाही एक दिवस में किया जाना स्पष्टहै। इसलिए आदेश व प्रस्ताव जैर निगरानी निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा जिस कबूतरों के चौक का पट्टा जारी किया है उसके नाप मौके पर बने कबूतरों के चौक से अधिक का है तथा जैर निगरानी भूमी प्रार्थी के कब्जा व रहवास की व पट्टे की भूमी है। प्रार्थी के हक में ठीकाणा निमाज द्वारा एक पट्टा जारी 09.10.1957 को जारी किया था उक्त पट्टा आज भी अस्तित्व में है। जैर निगरानी पट्टा इसी आराजी का जारी किया गया है उक्त पश्चातवृति दोबारा जारी जैर निगरानी पट्टा निरस्त योग्य है। जैर निगरानी पट्टे के पड़ौस अंकित किए है वे वास्तविक नहीं होने से पट्टा निरस्तनीय है। पट्टा जारी करने बाबत आवदेन ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है। आदेशिकाओं में कांटछांट है। आपति पत्र कहां चस्पा किया गया उसके पृष्ठ भाग पर अंकित नहीं है विधीवत चस्पा नहीं किया गया है। बयानों में भी कांट छांट है प्रार्थी घीसाराम की पट्टा सुदा भूमी पर काबिज है। जिस पर मकान बना हुआ है। जिसका पट्टा बना हुआ है घीसाराम की इस पट्टे की भूमी पर अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है। जो निरस्त योग्य हैं ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा गूर्जरों के प्रभाव में आकर दिया गया है। वे प्रार्थी की रहवास की भूमी को कब्जाना चाहते है। इसलिए पट्टा प्रक्रिया का दुरूपयोग का फर्जी तरीके से पट्टा बनाया गया है लिहाजा प्रस्ताव एवं पट्टा निरस्त फरमाया जावे। जैर निगरानी आराजी पर प्रार्थी का व उसके परिवार 1936 से बैठा है इसलिए वह हित[illegible]र होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे तथा जैर निगरानी प्रस्ताव व पट्टा निरस्त फरमाया जावे।

वकील अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि जैर निगरानी आराजी सार्वजनिक कबतरों का चौक है। जिस[illegible] पट्टा बनाने हेतु प्रार्थी[illegible] ग्राम के

क्रमश....................2

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:30:43 IST
Reason: SelfAttested

नागरिकों द्वारा पेश किया गया था जो मिसल में दर्ज प्रथम आदेशिका से स्पष्ट है प्रथम आदेशिका की दिनांक 20.07.2004 है तथा लिखते वक्त 08.07.2005 अंकित हो गया जो लिपीकीय त्रुटी है बाकी सभी तारिख सही रूप से 2004 की है लिपीकीय त्रुटी की वजह से पट्टा निरस्त नहीं किया जा सकता है। मौका निरीक्षण हेतु तीन वार्ड पंचों की कमेटी का गठन किया गया है कबूतरों के चौक का मौका नक्शा व रिपोर्ट दोनों पत्रावली संलग्न है। पट्टा हेतु 60/– रूपये शुल्क लेकर नियम 145 के तहत कार्यवाही की गई है एक माह का आपति इश्तिहार जारी किया गया है तथा मौजीज दो व्यक्तियों के बयान लिए हुए है। प्रार्थी के अधिवक्ता स्टेट टाईम में जारी जिस पट्टे का कथन कर रहे है उनके नाम व पड़ौस भिन्न है। श्यामलाल का अलग से पट्टा शुदा भूमी है जिसकी निर्माण इजाजत भी 19.03.2001 को रसीद कटवाकर ली गई है। जिसके 500 रूपये निर्माण इजाजत के प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत को अदा किए गए है। रसीद की प्रति पत्रावली संलग्न है। इस बाबत वरिष्ठ सिविल न्यायालय जैतारण में एक वाद आदेश 39 नियम 192 सीपीसी के पेश प्रकरण संख्या 38/2012 दर्ज हुआ जो ओगड़राम द्वारा श्यामलाल के विरूद्ध किया गया उसमें भी कबूतरों का चौक विवादित स्थल था तथा विवादित स्थल के पूर्व में श्यामलाल का मकान बताया गया है। उक्त प्रकरण में ओगड़राम का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया था एवं श्यामलाल को पट्टा सुदा भुमी से अधिक पर निर्माण नहीं करने हेतु आदेशित किया गया था ऐसी स्थिति में जैर निगरानी आराजी कबतरों का चौक की है श्यामलाल की नहीं। प्रार्थी द्वारा जैर निगरानी पट्टे की इतने समय बाद प्रश्नगत करने का कोई औचित्य पूर्ण कारण स्पष्ट नहीं किया है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर निगरानी खारिज फरमाई जावे तथा जैर निगरानी पट्टा यथावत रखा जावे।

बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया। एवं ग्राम पंचायत के रेकर्ड का अवलोकन किया गया। इस निगरानी के अवलोकन से दो बिन्दुओं पर विचारण किया जाना है जिसके उपर निर्णय आधारित है :–

1. क्या पूर्व में बने पट्टे पर नया पट्टा जारी किया गया ?
2. क्या विधिक रूप से प्रक्रिया का पालन किया गया है अथवा नहीं ?

ग्राम पंचायत निमाज क्रमांक/ग्रा.प.नि./2009 दिनांक 18.07.2009 द्वारा श्यामलाल को किसी प्रकार का पट्टा जारी नहीं होने बाबत लिखा है तथा न ही प्रार्थी द्वारा उसके हक में जारी पट्टे की प्रति ही प्रस्तुत की है जिसमें पट्टे पर पट्टा जारी किया जाना सिद्ध हो सके। ग्राम पंचायत द्वारा कबूतरों के चौक का स्टेट टाईम का पट्टा होना भी जाहिर किया है। जैर निगरानी पट्टा सन् 1936 में जारी पट्टे के पड़ौस भिन्न होने से यह नहीं माना जा सकता है कि जैर निगरानी पट्टे पर दोबारा पट्टा ग्राम पंचायत निमाज द्वारा जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में यह तर्क भी सही नहीं है कि पट्टे पर पट्टा जारी किया गया इस लिए तथा इस बिन्दु को निगरानीकर्ता साबित करने में असफल रहा है।

जहां तक पट्टा जारी करने की प्रक्रिया का प्रश्न है तो पंचायत की मिसल के अवलोकन से स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा 60/– रूपये शुल्क वसूल कर मिसल कायम की गई तत्पश्चात कार्यवाही कर जैर निगरानी आराजी का नक्शा बनाया गया तथा जैर निगरानी आराजी का तीन वार्ड पंचों की कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया है तथा आपति इश्तिहार जारी किया गया तथा दो गवाहों के बयान भी लिए गए है। समस्त कार्यवाही ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित कर की गई है। प्रस्ताव संख्या प्रत्येक आदेशिकाओं की दिनांक के साथ अंकित है। तथा अन्त में 20.10.2004 को प्रस्ताव लिया जाकर जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है जिसमें पंचायत नियमों के तहत विहित प्रक्रिया का पालन किया जाना स्पष्ट है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:50:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, पाली

क्रमश.....................3

सिविल न्यायालय के प्रकरण संख्या 38 / 2002 के निर्णय दिनांक 01.08.2013 में भी जैर प्रार्थना पत्र आराजी को कबूतरों का चौक होना ही माना है प्रार्थी श्यामलाल की नहीं माना है तथा उभयपक्ष को ताफैसल निर्माण नही करने हेतु पाबन्द किया गया है।

इस प्रकार जैर निगरानी आराजी के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा जो पट्टा जारी किया गया है। वह कबूतरों का सार्वजनिक चौक का विधिवत जारी किया गया है जिसे निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है एवं ग्राम पंचायत निमाज द्वारा प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 20.10.2004 की पालना में मिसल संख्या 66 में पारित आदेश दिनांक 20.10.2004 की पालना में जारी पट्टा संख्या 28 दिनांक 09.12.2004 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22/2/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:50:43 IST
Reason: SelfAttested